सत्य मार्ग की खोज, सीरीज़-3

कैसे लगे बलात्कार पर रोक?

جماعت اسلامی ہند

जमाअत इस्लामी हिन्द

दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, नई दिल्ली-110025

9650022638

www.islamsabkeliye.com

www.facebook.com/islamsabkeliyeofficial

कैसे लगे बलात्कार पर रोक?

कड़वा सच

आज हमारे देश में बलात्कार सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला अपराध है। पिछले 20 वर्षों में बलात्कार की घटनाएं दोगुना से भी अधिक हो गयी हैं। आम लोगों के अलावा बड़ी संख्या में विधि–निर्माता, धार्मिक–नेता और बड़े सरकारी अधिकारी इस अपराध में लिप्त हैं। कठुआ, उन्नाव, हैदराबाद से लेकर चेन्नई तक ऐसे लोगों का एक अनंत सिलसिला है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा आज देश की अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। महिलाएं न अपने घर में सुरक्षित हैं न बाहर। ऐसा लगता है कि यौन–पिपासा ने पुरुष जाति को मानवता की सीमाओं से स्वच्छंद कर दिया है। 2–3 वर्ष की अबोध बच्ची से लेकर 70 वर्ष की वृद्धा की इज़्ज़त पर हमले हो रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक़ वर्ष 2020 में महिलाओं के साथ बलात्कार की 28,046 घटनाएं रिकार्ड की गयीं, यानी प्रतिदिन 77 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ (जो घटनाएं रिकार्ड नहीं हुईं वे इनसे अलग हैं)। इसी अवधि में बलात्कार के प्रयास के 3741 मामले और 85392 मामले महिलाओं से दुर्व्यवहार के सामने आए। यह बहुत दुखद और चिंतनीय है कि 93 प्रतिशत मामलों में बलात्कारी कोई मित्र, सहकर्मी, सहपाठी, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई और क़रीबी था।

सख़्त कानून की मांग

बलात्कार और यौन अपराध के कुछ ही मामले अदालत तक पहुंच पाते हैं और जो पहुंचते हैं, उनमें भी न्यायिक जटिलताओं के कारण अपराधियों को बहुत कम मामलों में सज़ा मिल पाती है। सच्चाई यह है कि बलात्कार की घटनाओं की रोक–थाम के लिए कितना ही सख़्त कानून बना लिया जाए, इससे अपराध को पूरी तरह रोकना संभव नहीं। बल्कि इसके लिए आवश्यक यह है कि पहले समाज को पवित्र बनाने के उपाय किये जाएं। लोगों को ग़लत कामों पर उभारने और अपराध की ओर ले जाने के जो कारक हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर अपराध के सभी कारकों को इसी तरह रहने दिया जाए और कोई सख़्त से सख़्त क़ानून पारित कर लिया जाए तो इससे अपराध में तो कोई कमी नहीं आएगी, उल्टा क़ानून के ग़लत इस्तेमाल की राहें खुल जाएंगी। अदालतों के भारी ख़र्चे के कारण, यह डर भी बना रहेगा कि अपना बचाव करने में असमर्थ ग़रीब लोग सज़ा पा जाएं और पैसे वाले लोग अपनी पहुंच और प्रभाव का इस्तेमाल करके सज़ा से बचे रहें।

स्थायी समाधान की खोज

बढ़ते महिला विरोधी अपराध और मानव निर्मित क़ानूनों की बेबसी समाज के प्रबुद्ध वर्ग को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस समस्या का कोई स्थायी समाधान है ? निश्चित रूप से है, और वह है ईश्वर की बनायी हुई व्यवस्था। ईश्वर ने मनुष्य को दुनिया में भेजा, तो क़दम–क़दम पर उसके मार्गदर्शन की व्यवस्था की है। मानव जाति के पास ईश्वर का अंतिम मार्गदर्शन इस्लाम के रूप में मौजूद है। दुनिया में इन्सान को जिन–जिन समस्याओं का सामना हो सकता है, उन सब का समाधान इस्लाम में मौजूद है। मनुष्य में यौन–इच्छा स्वाभाविक है। इस्लाम न तो इसे अस्वभाविक रूप से दबाने और कुचलने की प्रेरणा देता है और न ही इसकी स्वच्छंद पूर्ति की छूट देता है। इस्लाम का दृष्टिकोण दोनों अतियों के बीच है। इस्लाम हर इन्सान को अपनी यौन–इच्छा पूरी करने का अधिकार देता है, लेकिन साथ ही इसे नियंत्रित करने की राह भी दिखाता है। इस्लाम यौन–इच्छा की पूर्ति को विवाह का पाबंद बनाता है और उससे परे किसी तरह के संबंध की अनुमति नहीं देता और ऐसे सभी संबंधों को वर्जित ठहराता है। उसने पुरुषों और महिलाओं दोनों को सख़्ती से प्रतिबंधित किया कि वे विवाह के सिवा किसी तरह का यौन संबंध न रखें। पवित्र कुरआन के अनुसार–

''(कुछ सगे संबंधों को छोड़ कर) तुम्हारे लिए महिलाएं वैध हैं, तुम दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं में रहने के लिए,; (केवल यौन के सुख पाने के लिए नहीं) अपना धन ख़र्च करके उनके साथ विवाह करो। (कुरआन, 4:24)

व्यभिचार और बलात्कार

ईश्वर ने व्यभिचार (स्त्री व पुरुष की रज़ामंदी से बनाया गया शारीरिक संबंध) को एक गंभीर सामाजिक अपराध करार दिया है और इसे घिनौना कर्म कहते हुए इससे दूर रहने का आदेश दिया है –

''व्यभिचार के निकट भी न जाओ। निस्संदेह वह बड़ी ही निर्लज्जता की बात है और बड़ी बुराई का चलन है।''

(कुरआन, 17:32)

यौन अपराध के तेज़ी से बढ़ने और इसकी जघन्नता को हल्के में लेने का एक कारण यह भी है कि सभ्य समाज ने बलात्कार और व्यभिचार को अलग–अलग कर दिया है। आज की दुनिया में बलात्कार को तो अपराध माना जाता है, लेकिन व्यभिचार को नहीं। आज व्यभिचार को सामाजिक और कानूनी स्वीकृति प्राप्त है। सच्चाई यह है कि दोनों के

बीच कोई अंतर नहीं है। यह अपराध चाहे ज़बरदस्ती से हो या आपसी सहमति से समाज पर पड़ने वाला इसका प्रभाव बराबर ही होता है। बल्कि कई बार तो आपसी सहमति से यह ज़्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो एक–दो बार की जा सकती है, जबकि आपसी सहमति में इसका सिलसिला लम्बा चलता है, जिससे दूसरी कई जटिलताएं पैदा हो जाती हैं।

व्यभिचार के नतीजे में पैदा होने वाली संतान की आम तौर से (जन्म से पहले या बाद) हत्या कर दी जाती है, जो व्यभिचार से भी बड़ा अपराध है। अगर उसे जीवित रहने दिया जाता है तो समाज में उसे कभी सम्मान हासिल नहीं होता।

समय पर विवाह

आदर्श समाज के लिए आवश्यक है कि युवावस्था की उम्र तक पहुंचने के बाद कोई लड़का या लड़की बिना विवाह के न रहे, बल्कि वे जल्दी से जल्दी विवाह के बंधन में बंध जाएं। अतः अभिभावकों को इसका ध्यान दिलाया जाता है कि वे जल्दी से जल्दी उनका विवाह करा दें। आजकल, विभिन्न कारणों से शादी में देरी की जाती है, जिससे ग़लत तरीकों से यौन इच्छा की पूर्ति की राहें खुलती हैं। सभ्य समाज में शादी में देरी का एक मुख्य कारण बड़े पैमाने पर दहेज का लेनदेन है। इस्लाम शादी को आसान बनाने की शिक्षा देता है उसमें दहेज की कोई अवधारणा नहीं है।

ईश्वर द्वारा निर्धारित जीवन शैली में व्यक्ति के लिए यौन सुख प्राप्त करने के साथ समाज की पवित्रता बनाए रखने के लिए कई उपाय सुझाये गये हैं। ये उपाय लोगों को अपराध करने से रोकते हैं और यौन अपराधों के सभी संभावित दरवाज़ों को बंद करते हैं। उसके अनुसार पुरुषों और महिलाओं दोनों को आदेश दिया गया है कि वे अपनी नज़र और अपनी आबरू की रक्षा करें –

''ईमान वाले पुरुषों से कह दो कि अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें। यही उनके लिए अधिक अच्छी बात है। अल्लाह को उसकी पूरी ख़बर रहती है, जो कुछ वे किया करते हैं।'' और ईमान वाली स्त्रियों से भी कह दो कि वे भी अपनी निगाहें बचाकर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें। और अपने शृंगार प्रकट न करें, सिवाय उसके जो उनमें खुला रहता है। अपने सीनों पर अपने दुपट्टे डाले रहें। और स्त्रियां अपने पाँव धरती पर मारकर न चलें कि अपना जो शृंगार छिपा रखा हो, वह मालूम हो जाए।

(कुरआन, 24:30–31)

अनावश्यक मेल-जोल

इस्लाम की शिक्षाओं में से एक यह है कि कोई पुरुष या महिला किसी नामहरम के साथ अकेले में न रहे। (जिन रिश्तों के बीच आपस में विवाह की संभावना नहीं है, जैसे भाई–बहन, मां–बेटा आदि वे महरम रिश्ते हैं और जिन रिश्तों में आपस में विवाह हो सकता है, वे सभी नामहरम रिश्ते हैं)। इस्लाम पुरुषों और महिलाओं के स्वतंत्र मेलजोल को पसंद नहीं करता है। वह चाहता है कि पुरुष और महिलाएं आजाद घुलमिल कर न रहें, क्योंकि एक साथ मिश्रित रहने से यौन भावनाएं उभरने की संभावना है, और यही भावना दुष्कर्म तक पहुंचा सकती है।

ईश्वर ने आदेश दिया है कि महिलाएं अनावश्यक घर से बाहर न निकलें और अगर निकलना ही पड़े तो अपने शृंगार और अपने चेहरे को छिपा कर निकलें। शृंगार का प्रदर्शन करने की स्थिति में अजनबी पुरुषों की नज़रों का उनकी ओर उठना स्वभाविक है और इससे उनकी यौन भावनाएं उत्तेजित होंगी। फलस्वरूप छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाएगी।

अन्य कारक

ऊपर लिखित सावधानियां अपनाने के साथ, इस्लाम ने उन चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है जो दुष्कर्म पर उभारने वाली और पुरुषों और महिलाओं में यौन भावनाएं पैदा करने वाली हैं। जैसे–

शराबः इस्लाम ने शराब को हराम (वर्जित) ठहराया है इसलिए कि शराब से व्यक्ति की यौन भावनाएं उत्तेजित होती हैं और रिश्तों का अंतर मिट जाता है।

अश्लीलताः इसी तरह समाज में अश्लीलता के प्रसार की अनुमति कदापि नहीं होनी चाहिए। वे सभी चीजें प्रतिबंधित होनी चाहिएं जिनके माध्यम से अश्लीलता और नग्नता फैलती है। वर्तमान समय में, समाज में अश्लीलता और नग्नता को फैलाने वाली बहुत सारी चीजें आ गयी हैं। जैसे कि गंदी फिल्में, नग्न पोस्टर और विज्ञापन, अश्लीलता फैलाने वाली पत्रिकाएं, इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी की वेब्साइट्स, इत्यादि। स्मार्ट फोन ने अश्लील सामग्री तक आम आदमी की पहुंच बहुत आसान कर दी है।

सज़ा की ज़रूरत

समाज के लिए इन चीज़ों का घातक होना एक खुली सच्चाई है, लेकिन चूंकि इन्होंने एक उद्योग का रूप ले लिया है और इनसे सरकार को और संपन्न वर्ग को मोटी

आमदनी होती है, इसलिए इनकी घातकता को अनदेखा करके इन्हें ख़ूब बढ़ावा दिया जा रहा है।

समाज में अगर ये सारे उपाय अपनाये गये तो निश्चित रूप से दुष्कर्म और महिला विरोधी अपराधों की घटनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी। लेकिन समाज में कुछ गिने–चुने लोग ऐसे हो सकते हैं, जो इन सबके बावजूद दुष्कर्म में लिप्त हो जाएं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए सख़्त कानून ज़रूरी है जिसके तहत अपराधियों के लिए दर्दनाक सज़ा का प्रावधान हो। इस्लामी कानून के अनुसार व्यभिचारी/ व्यभिचारिणी अगर अविवाहित हैं, तो उन्हें 100 कोड़ें मारे जाएं और अगर वे विवाहित हैं, तो उन्हें संगसार किया जाए अर्थात् पत्थरों से मार–मार कर मृत्युदण्ड दिया जाए।

इस्लाम अपने मानने वालों को यह शिक्षा देता है कि अगर उन्होंने भूलवश या अपनी मनइच्छाओं के हाथों मजबूर होकर यह गुनाह कर दिया है तो वे खुद को कानून के हवाले कर दें और दुनिया में ही इस गुनाह की सज़ा भुगत लें, ताकि आख़िरत (परलोक) में अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और दुनिया में ख़ुद को व्यभिचार की सज़ा से बचा लिया तो मरने के बाद उन्हें हमेशा के लिए जहन्नम की आग में झोंक दिया जाएगा।

निष्कर्ष

समाज को पवित्र रखने के लिए ये शिक्षाएं केवल वैचारिक नहीं हैं, बल्कि इन्हें लागू किया जा चुका है और दुनिया ने अपनी खुली आंखों से इसे देखा है। इस्लाम के आने से पहले अरब समाज हर तरह की बुराइयों में डूबा हुआ था, इन शिक्षाओं के कारण उनके जीवन पवित्र हो गये और उनका समाज पवित्र हो गया। आज भी जिन देशों में इस्लामी शरीअत का कानून लागू है वहां, बलात्कार तो दूर व्यभिचार की घटनाएं भी इतनी कम हैं कि वे प्रतिशत में नहीं आतीं। यही वजह है कि जब हमारे देश में भी बलात्कार की कोई दिल दहला देने वाली घटना घटित होती है तो कई ओर से शरीआ कानून लागू करने की मांग की जाने लगती है। जो लोग समाज में बुराइयों को पनपता देखकर चिंतित हैं, उन्हें व्यक्ति और समाज को पवित्र बनाने के इस्लाम द्वारा सुझाए इन उपायों को अपनाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

*